



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र.सं.	फर्द अहकाम	
	<p>क्र.सं. 30/16 तारीख 27.5.16</p> <p>उपनाम - ज्ञानी बंजाम ठोडी भीना जोपालपुरा दादा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</p> <p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि.व. ने दादा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व जमाबंदी का अवलोकन किया गया। दादा दर्ज रिजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया अथवा दिनांक 27.5.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करोली)</p>	<p>148 3.5.16</p>
	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपेक द्वारा 2016 ग्राम खेड़ी में दिनांक 27.5.16 को पेश हो।</p>	
27.5/16	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपेक द्वारा 2016 ग्राम खेड़ी में पेश हुई। वादी की ओर से श्री शमशेरु शर्मा नि.व. ने वकालत पेश किया। शपथपत्र किया। वास्तु जबाब दिनांक 28.7.16 को पेश हो।</p>	
28.7.16	<p>वकालत उप। जबाब पेश कले समय-पाहा। वास्तु जबाब दादा दिनांक 24.8.16 को पेश हो।</p>	<p>ठोडी राजश्री</p>
24.8.16	<p>वकालत उप। गतानुसार दिनांक 8.9.16 को पेश हो।</p>	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
16.8.17)	जनरल पेशी /
27.9.17)	<p>वकूलाय उप. / वादी वकीलने न्याय हित में एक भंतिग मौख वादी लाहप पेश करेते चाहेते उए कपन क्रिया सि यदि आगाभी सुनवाई लिधी प् वादी लाहप पेश नही होती है तो दावा खारिज क् दिपा जौने / सुनक-प्राप्त हित में एक अंतिम मौख दिपा जाता है दिनांक 3.10.17 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>
3.10.17)	<p>पत्रावली पेश हुई / वादी वकील उपस्थित नही / प्रतिवादी वकील उपस्थित / कर्ष क् आवाज दिलाई गई / फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नही है अतः दावा वादीगण अदम हाजिरी एवं अदम चेखी में खारिज क्रिया जाता है पत्रावली फंसल शुमाह होक नम्बर से कम होका दाखिल दफतर हो</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>